



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238957
CG-DL-E-21092022-238957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4199]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4199]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4383(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लेखित जिलों, तालुको, पुलिस थानों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखंड के संबंध में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम सक्षम पदाधिकारी कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है। मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 217 (डिज़ाइन किमी 20.900 सेकिमी 47.075) पर भूमि का अर्जन किया जाना है।

अनुसूची

मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 217 (डिज़ाइन किमी 20.900 सेकिमी 47.075) पर भूमि का अर्जन किया जाना है।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर (रेवन्यू)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH217 के कि.मी. 20.9 से 47.075 तक	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स	रेसुबेलपाड़ा	1 पति मोआ
						2 कोसी चोरा
						3 दरकोना वारभा
						4 दोबाकोल
						5 वाको असिमे
						6 मेंदुदाम
						7 किम्बालडैम
						8 मिकासिमम
						9 चेंगल्मा
						10 बेरुबारी
						11 डिङोक बाजार
						12 रंगसेप
					बजेंगेडोबा	1 डिग्रेपा
						2 रोनगोग्रे मिट्टी गीट्टीम
						3 रेम सोंगिटल
						4 दुर्लभ
						5 नया मेंडल
						6 मेंडल
						7 स्नालग्रे
						8 लोअर मेंडल
						9 गोकोलग्रे
						10 डोकिग्रे
						11 बोलोंग्रे आगा

[फा. सं. NGH/REV/NHIDCL/155/2021/2064 dated 24.08.2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4383(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 217 Chainage Km. 20.900 to Km. 47.075 in the State of Meghalaya.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.217 Package II (Design Chainage Km. 20.900 to Km. 47.075) in the State of Meghalaya.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner (Revenue)	20.9KM To 47.075KM	MEGHALAYA	North Garo Hills	Resubelpara	1	Moa Mari
						2	Kosi Chora
						3	Darakona Rabha
						4	Dobakkol
						5	Wakso Asimgre
						6	Mendudam
						7	Kimbaldam
						8	Mikkasimdam
						9	Chenggalma
						10	Berubari
						11	Dingok Bazar
						12	Rangsep
					Bajengdoba	1	Dingrepa
						2	Ronggopgre soilgittim
						3	Rem songgital
						4	Rari
						5	New Mendal
						6	Mendal
						7	Snalgre
						8	Lower Mendal
						9	Gokolgre
						10	DOkigre
						11	Bollongre AGA

[F. No. NGH/REV/NHIDCL/155/2021/2064 dated 24.08.2022]

RAJESH GUPTA, Director